भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3921
25 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषयः कीटनाशक अवशेष परीक्षण
3921. श्री तेजस्वी सूर्याः
क्या **कृषि और किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) राष्ट्रीय निगरानी कार्यक्रमों का विस्तार करने तथा देश भर में कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण के लिए प्रयोगशाला क्षमताओं को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) सरकार किसानों द्वारा ऑफ-लेबल तथा अत्यधिक कीटनाशकों के उपयोग के मुद्दे से निपटने के लिए किस प्रकार की योजना बना रही है;
(ग) बाजार में नकली तथा अनियमित कीटनाशकों की बिक्री तथा वितरण पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;
(घ) क्या सरकार जैव-कीटनाशकों तथा एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) जैसे स्थायी विकल्प अपनाने वाले किसानों के लिए प्रोत्साहन या सब्सिडी शुरू करने की योजना बना रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ड.): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के अंतर्गत केंद्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (आरसी) मानव जीवन या पशुओं को जोखिम से बचाने के लिए प्रभावकारिता और सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए देश में इसके निर्माण और उपयोग के लिए कीटनाशकों को कीटनाशक अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत करती है और भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) द्वारा अधिकतम अवशेष सीमा (एमआरएल) के निर्धारण के बाद ही पंजीकरण का प्रमाण पत्र जारी करती है।

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कीटनाशक अवशेषों की संभावित उपस्थिति का पता लगाने के लिए देश के विभिन्न हिस्सों से 35 भागीदार प्रयोगशालाओं द्वारा एकत्रित सैंपल्स के माध्यम से सब्जियों, फलों, मसालों, अनाजों, दलहन, जड़ी-बूटियों, चाय और पानी आदि जैसे खाद्य वस्तुओं में कीटनाशक अवशेषों के स्तर को निर्धारित करने के लिए "राष्ट्रीय स्तर पर कीटनाशक अवशेषों की निगरानी (एमपीआरएनएल)" नामक एक परियोजना को भी कार्यान्वित कर रहा है और किसानों को लेबल और पत्रक पर निर्धारित खुराक के अनुसार फसल पर अनुमोदित कीटनाशकों के उपयोग के बारे में शिक्षित करने के लिए सभी राज्यों के साथ उनकी रिपोर्ट साझा की जाती है ताकि ऑफ-लेबल कीटनाशकों के उपयोग को नियंत्रित किया जा सके।

एफएसएसएआई ने खाद्य वस्तुओं में कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण के लिए सक्षम 159 प्राथमिक प्रयोगशालाओं को अधिसूचित किया है और खाद्य वस्तुओं में कीटनाशक अवशेषों के परीक्षण में सहायता करने वाले उच्च स्तरीय उपकरणों की खरीद के लिए प्रयोगशालाओं को सहायता देने के लिए “खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ बनाना” (एसओएफटीईएल) स्कीम को कार्यान्वित किया

है। एफएसएसएआई ने खाद्य उत्पादों के ऑन-साइट परीक्षण के लिए 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 285 मोबाइल खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएँ भी शुरू की हैं।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने नकली और अनियमित कीटनाशकों की बिक्री की जांच करने और देश भर में गुणवत्ता वाले कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्माता के परिसर और बिक्री केन्द्रों से कीटनाशकों के सैंपल्स एकत्र करने और निरीक्षण करने के लिए 12523 कीटनाशक निरीक्षकों की नियुक्ति भी की है।

इसके अलावा, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग अपने केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्रों (सीआईपीएमसी), कृषि विज्ञान केंद्रों (केवीके) और राज्य कृषि विभागों के माध्यम से एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम), जैव कीटनाशकों के उपयोग को बढ़ावा देने और किसानों को अंतिम उपाय के रूप में लेबल और पत्रक पर निर्धारित खुराक के अनुसार रासायनिक कीटनाशकों के आवश्यकता-आधारित और विवेकपूर्ण उपयोग के लिए शिक्षित करने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है।

*****